

1.	HQ Artillery Centre Hydrabad PIN- 900398 C/o 56 APO	4.	Defence Estates Office, Bhopal Division E-7/844, Arera Colony Bhopal – 462016 (Madhya Pradesh)
2.	Air Force Station, New Delhi New Delhi - 110003	5.	9 Base Repair Depot, IAF Nagar Road, Pune - 411014
3.	HQ CWE, Delhi Cantt Delhi Cantt - 110010	6.	Headquarters Chief Engineer Services, Delhi Zone Military Engineer Services Delhi Cantt - 110010

[No. 1(2)/2017-D(OL-1)]

JAYANT SINHA, Jt. Secy.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2017

का.नि.आ. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, (सिविलियन ड्राइवर) भर्ती नियम, 2003, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सिविलियन ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, यान प्रचालक 'क', यान प्रचालक 'ख' और यान प्रचालक 'ग' भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी भी नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम (1)	पदों की संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
1. यान प्रचालक 'ग'	313' (2017) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300)

चयन पद है अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा (6)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत होने वालों के मामलों में भी लागू होगी (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा (11)
<p>प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे यान प्रचालक जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो या यान प्रचालक 'ख' और यान प्रचालक 'क' के पदों पर संयुक्त सेवा तेरह वर्ष की हो जो निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित करते हुए प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के अध्वधीन होगा :-</p> <p>(क) अंग्रेजी अंकों और शब्दों को पढ़ने की योग्यता। (ख) यातायात विनियमों की पूरी जानकारी। (ग) कमी का पता लगाने और मामूली चालन मरम्मत करने की योग्यता। (घ) पहिए को बदलने तथा टायर में सही ढंग से हवा भरने की योग्यता। (ङ) पेट्रोल और डीजल इंजन के कार्य का ज्ञान। (च) कमी हो जाने की संभाव्यता की पूर्व-प्रकल्पना और निवारक रख-रखाव की योग्यता।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम ना हो और उन्होंने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना बताएं	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-2 (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे :- 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला की विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह का संचालन करने के लिए नाम निर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या प्रयोगशाला या स्थापना का निदेशक या प्रधान - अध्यक्ष 2. संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से वरिष्ठ अधिकारी समूह-2 या समतुल्य - सदस्य 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-1 या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। - सदस्य	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)
2. यान प्रचालक 'ख'	267* (2017) *कार्यभार पर आधारित परिवर्तन पर निर्भर करेगा।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय

(4)	(5)	(6)	(7)
वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रु.)	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	100% प्रोन्नति द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>ऐसे यान प्रचालक 'क' जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-2 में (19900-63200) नीचे दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर व्यावहारिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त के अध्वधीन आठ वर्ष उस श्रेणी में नियमित सेवा की हो :-</p> <p>(क) अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने में समर्थ।</p> <p>(ख) काबूरेटर, प्लग इत्यादि साफ करने में समर्थ।</p> <p>(ग) पेट्रोल और डीजल इंजन की कार्यप्रणाली का अच्छा ज्ञान हो तथा कमियों का पता लगाने तथा छोटी चालन कमियों को ठीक करने में सक्षम हों।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली हो, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा। परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई</p>

ऐसी अर्हक सेवा या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने से ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति-2 (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला की विकासीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह का आयोजन करने के लिए नाम निर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन प्रयोगशाला या स्थापना का निदेशक या प्रधान -अध्यक्ष 2. संबंधित विकासीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से ज्येष्ठ अधिकारी श्रेणी-2 या समकक्ष -सदस्य 3. ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-1 या वैज्ञानिक 'ग' जो संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह के किसी घटक स्थापना या प्रयोगशाला से संबंधित नहीं है। -सदस्य 	लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)
3. यान प्रचालक 'क'	267* (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (रु. 19900-63200)

(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	<p>27 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p> <p>टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल</p>	<p>अनिवार्य :</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) 10वीं पास। (ii) दो या तीन पहिए और हल्के तथा भारी यानों के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखना, और (iii) मोटर यंत्र रचना का ज्ञान (अभ्यर्थी को यान में आने वाली छोटी कमियों को दूर करने में समर्थ होना चाहिए)। (iv) मोटर कार चलाने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव। <p>टिप्पण 1 : अनुभव संबंधी अर्हताएं/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p>

	और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
--	--	--

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	1. 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 2. 25 प्रतिशत, समूह 'ग' कर्मचारीवृंद में से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से, प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा किया जाएगा।

(11)
<p>वेतन मैट्रिक्स में स्तर-I (18000-56900 रु.) में (पूर्व-पुनरीक्षित ग्रेड वेतन 1800 रु.) ऐसे तत्कालीन समूह 'घ' कर्मचारीवृंद [अब बहुकार्य कर्मचारीवृंद (एमटीएस) में से जिन्होंने इस ग्रेड में डीआरडीओ में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जो मोटर चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति, मोटर कार चलाने की सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किसी चालन परीक्षण के आधार पर रखता है और स्तम्भ 7 में यथा-विहित अर्हताएं रखता है।]</p>

(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति-2 (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला की विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह का संचालन करने के लिए नाम निर्दिष्ट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या प्रयोगशाला या स्थापना के निदेशक या अध्यक्ष -अध्यक्ष संबंधित विकेन्द्रीकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-2 में भाग लेने वाली प्रयोगशालाओं या स्थापनाओं से ज्येष्ठ अधिकारी श्रेणी-2 या उसके समतुल्य -सदस्य ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी समूह-I या वैज्ञानिक 'ग' जो विभागीय प्रोन्नति समिति-2 समूह के किसी घटक या स्थापनाओं या प्रयोगशालाओं से संबंधित न हों। -सदस्य 	लागू नहीं होता

[फा. सं. डीएचआरडी/76257/भर्ती नियम/यान प्रचालक/सी/पी/03/1939/रक्षा (अनु. एवं वि.)/17]

हर्षा रानी, अवर सचिव

(DEPARTMENT OF DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT)

New Delhi, the 27th October, 2017

S.R.O. 95.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Defence Research and Development Organisation (Civilian Drivers) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Civilian Driver posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely:-

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Vehicle Operator 'A', Vehicle Operator 'B' and Vehicle Operators 'C' Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and pay level in the pay matrix.**—The number of the said posts, their classification and the pay level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule aforesaid.

4. **Disqualifications.**—No person,-

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post (1)	Number of posts (2)	Classification (3)	Level in the pay matrix (4)
1. Vehicle Operator 'C'	313* (2017) * subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix

Whether selection post or non-selection post (5)	Age-limit for direct recruits (6)	Educational and other qualifications required for direct recruits (7)
Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees (8)	Period of probation, if any (9)	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods (10)
Not applicable	Not applicable	100% Promotion

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)
<p>Promotion:</p> <p>Vehicle Operator 'B' in Level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix with five years of regular service in the grade or with a combined service of thirteen years in the posts of Vehicle Operator 'B' and Vehicle Operator 'A' subject to passing of proficiency test covering the following aspects:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Ability to read English numerals and figures. (b) Thorough knowledge of traffic regulations. (c) Ability to locate faults and carry out minor running repairs. (d) Ability to change wheels and correctly inflate tyres. (e) Knowledge of petrol and diesel engine working. (f) Ability to pre-conceive faults likely to occur and carry out preventive maintenance. <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists; what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotional Committee –II (for considering promotion) consisting of:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director or Head of the Defence Research and Development Organisation or Laboratories or Establishments nominated for conducting the respective decentralised departmental promotion committee-II group concerned Establishment or Laboratory - Chairman 2. Senior Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised departmental promotion committee-II group. - Member 3. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishment or Laboratory of the departmental promotion committee-II group -Member 	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
2. Vehicle Operator 'B'	267* (2017) * subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix

(5)	(6)	(7)
Non-Selection	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	100% Promotion

(11)
<p>Promotion: Vehicle Operator 'A' in Level-2 (Rs. 19900-63200) in the pay matrix with eight years regular service in the grade subject to passing the practical proficiency test based on the syllabus as given below:-</p> <p>(a) Must be able to read English numerals and figures. (b) Must be able to clean carburetor, plug, etc. (c) Must have a good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.</p> <p>Note 1: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee -II (for considering promotion) consisting of :</p> <p>1. Director or Head of the Defence Research and Development Organisation or Laboratories or Establishments nominated for conducting the respective decentralised departmental promotion committee-II group concerned Establishment or Laboratory. - Chairman</p> <p>2. Senior Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised departmental promotion committee-II group. -Member</p> <p>3. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishments or Laboratories of the departmental promotion committee-II group. -Member</p>	Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Vehicle Operator 'A'	267* (2017* subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-2 (Rs.19900-63200) in the pay matrix

(5)	(6)	(7)
Not applicable	<p>Not exceeding 27 years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date</p>	<p>Essential:</p> <p>(i) Pass in 10th standard. (ii) Possession of a valid driving licence for two or three wheelers and light and heavy vehicles, and (iii) Knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle).</p>

	prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Anadaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).	(iv) Experience of driving a motor car for at least three years. Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
--	--	--

(8) Not applicable	(9) Two years	(10) (i) 75% by direct recruitment. (ii) 25% by promotion through Limited Departmental Competitive Examination from Group 'C' Staff, failing which by direct recruitment.
-----------------------	------------------	---

(11) From amongst the regular erstwhile Group 'D' Staff [Now Multi Tasking Staff (MTS) Group 'C' employees in Level-1 (Rs. 18000-56900) in the pay matrix (Pre-revised Grade Pay of Rs. 1800) with three years regular service in this grade in DRDO, who possess valid Driving License for Motor Cars on the basis of a Driving Test to assess the competence to drive Motor Cars, qualifications as mentioned in column 7.]
--

(12) Group 'C' Departmental Confirmation Committee –II (for considering confirmation) consisting of :— 1. Director or Head of the Defence Research and Development Organisation or Laboratories or Establishments nominated for conducting the respective decentralised departmental promotion committee-II group concerned Establishments or Laboratories. -Chairman 2. Senior Officer Grade-II or equivalent from the participating Laboratories or Establishments in the respective decentralised departmental promotion committee-II group. -Member 3. Senior Administrative Officer Grade-I or Scientist 'C' who does not belong to any of the constituent Establishments or Laboratories of the departmental promotion committee-II group. -Member	(13) Not applicable
---	------------------------

[F. No. DHRD/76257/RRs/Vehicle Operators/C/P/03/1939/D (R&D)/17]

HARSHA RANI, Under Secy.